

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 मार्च 2013—फाल्गुन 13, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच(2).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ) तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2009-02-पांच (37), दिनांक 29 दिसम्बर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी के लिए उसके कालम (3) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञासि फीस होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञासियों और रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञापियों के लिए विहित करती है, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञापि फीस (3)
-------------------	--------------------------------------	------------------------------

### होटल बार अनुज्ञापि (एफ.एल.-3)

1	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो	रुपये 8,80,000/-
2	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक हो, किन्तु दस लाख से अधिक न हो।	रुपये 7,10,000/-
3	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु पांच लाख से अधिक न हो।	रुपये 6,20,000/-
4	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो।	रुपये 5,30,000/-
5	जिला मुख्यालय तथा ऐसे नगर/ शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या चालीस हजार से अधिक हो, किन्तु एक लाख से अधिक न हो।	रुपये 4,40,000/-

(1)	(2)	(3)
6	ईको/एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिह्नित स्थल जो नगर/शहर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो :	
	(क) ए-श्रेणी के लिए	रुपये 3,30,000/-
	(ख) बी-श्रेणी के लिए	रुपये 2,80,000/-
	(ग) सी-श्रेणी के लिए	रुपये 2,60,000/-
7	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हेरीटेज होटल जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो	रुपये 1,70,000/-
8	नगर, शहर तथा स्थान जहां केवल मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञित हैं.	रुपये 2,35,000/-
9	ऊपर अनुक्रमांक 8 पर वर्णित से भिन्न मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए	रुपये 2,90,000/-
10	रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञित	रुपये 4,40,000/-

परन्तु होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञित तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञित के लिए अनुज्ञित फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञित वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूरी की गई हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2012 से प्रवृत्त की गई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच, (02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच, (02), दिनांक 4 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th March 2013

No. B-1-36-2012-2-V (2).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) of sub-section (2) read with proviso of sub-section (3) Section 62, and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2009-2-V (37), Dated the 29th December, 2010, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F.L.-3) Licences and Resort Bar (F.L.-3-A) Licences, as shown in column (3) of the table below for the population or category of Town/City mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No.	Population or Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
-------	--	------------------------------

**Hotel Bar Licence (F.L.-3)**

1	For a town/city of which the population exceeds Ten lacs	Rs. 8,80,000/-
2	For a Town/City of which the population exceeds Five lacs but does not exceed Ten lacs.	Rs. 7,10,000/-

(1)	(2)	(3)
3	For a town/city of which the population exceeds Three lacs but does not exceed Five lacs.	Rs. 6,20,000/-
4	For a town/city of which the population exceeds One lac but does not exceeds Three lacs.	Rs. 5,30,000/-
5	For a District Headquarter and for a town/city of which the population exceeds 40,000 but does not exceed One lac.	Rs. 4,40,000/-
6	Places identified under eco/adventure tourism which are situated at a distance more than 5 more kilometer from the town/city.	
	(a) A-Category	Rs. 3,30,000/-
	(b) B-Category	Rs. 2,80,000/-
	(c) C-Category	Rs. 2,60,000/-
7	Heritage Hotels situated in rural areas which are recognized by Tourism Department	Rs. 1,70,000/-
8	Town, city and places, where only Madhya Pradesh Tourism Development Corporation is having Hotel Bar (F.L.-3) Licence.	Rs. 2,35,000/-
9	Hotels of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation other then as described at serial number 8 above.	Rs. 2,90,000/-
10	Resort Bar (F. L. 3-A) Licences	Rs. 4,40,000/-

Provided that the licence fee shall be as above even if the Hotel Bar (F. L.-3) Licence and Resort Bar (F. L.3-A) Licences are given/sanctioned for a part of the year.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच(3).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मंदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2009-02-पांच (38), दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को अतिथित करते हुए, राष्ट्र सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर/शहर की श्रेणी के लिए उसके कालम (3) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञासि फीस रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) अनुज्ञाप्तियों के लिए विहित करती है, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस (3)
1	ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा	रुपये 5,30,000/-
2	कान्हा किसली (जिला मंडला), पेंच (जिला सिवनी), बांधवगढ़ (जिला उमरिया), मुक्की (जिला बालाघाट), पचमढ़ी (जिला होशंगाबाद), माणझू (जिला धार) और भीमबैटिका (जिला रायसेन).	रुपये 1,80,000/-
3	भोपाल तालाब में क्रूज बोट	रुपये 1,40,000/-

परन्तु रेस्टरां बार (एफ. एफ.-2) अनुज्ञाप्ति के लिए अनुज्ञाप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञाप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूरी की गई हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2012 से प्रवृत्त की गई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच, (03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच, (03), दिनांक 4 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुबाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th March 2013

No. B-1-36-2012-2-V (3).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) of sub-section (2) read with proviso of sub-section (3) Section 62, and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2009-2-V (38), Dated the 29th December, 2010, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar (F.L.-2) Licences as shown in column (3) of the Table below for the category of town/city mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
1	Gwalior, Indore, Bhopal Jabalpur, Sagar, Ujjain and Rewa	Rs. 5,30,000/-
2	Kanha Kisli (District Mandla), Pench (District Seoni) Bandhavgarh (District Umariya), Mukki (District Balaghat), Panchmari (District Hoshangabad), Mandu (District Dhar) and Bhimbethika (District Raisen).	Rs. 1,80,000/-
3	Cruise Boat in Bhopal Lake	Rs. 1,40,000/-

Provided that the licence fee shall be as above even if the Restaurant Bar (F. L.-2) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H.U. KHAN, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच(4).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2009-02-पांच (39), दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के

कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित अनुज्ञासि के स्थान की श्रेणी के लिए, उसके कालम (4) में दर्शायी गई अनुज्ञासि की वार्षिक फीस वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-3-क) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के लिए विहित करती है, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञाप्ति का प्रकार (2)	अनुज्ञासि के स्थान की श्रेणी (3)	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस (4)
1	वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) अनुज्ञाप्ति.	नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	रुपये 4,00,000/- रुपये 2,00,000/-
2	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) अनुज्ञासि	—	रुपये 60,000/-

परन्तु यह कि वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) अनुज्ञासियों के लिए वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी भले ही अनुज्ञाप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूर की गई हो.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच, (04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच, (04), दिनांक 4 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th March 2013

No. B-1-36-2012-2-V (4).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) of sub-section (2) read with proviso of sub-section (3) Section 62, and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2009-2-V (37), Dated the 29th December, 2010, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Commercial Club Bar (F.L.-4-A) and Civilian Club Bar (F.L.-4) Licences, as shown in column (4) of the table below for the category of the place of the Licence mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely :—

### TABLE

S.No. (1)	Type of Licence (2)	Category of the Place of the Licence (3)	Licence fee per annum (4)
1	Commercial Club Bar (F. L. 4-A) Licence.	Urban Places Rural Places	Rs. 4,00,000/- Rs. 2,00,000/-
2	Civilian Club Bar (F. L.-4) Licence	—	Rs. 60,000/-

Provided that the licence fee shall be as above even if the Commercial Club (F. L.-4-A) and Civilian Club Bar (F. L.-4) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच(5).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड), (च), (छ) तथा (ज) धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

**संशोधन**

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में, प्ररूप एफ.एल.-3 में, शर्त क्रमांक (6) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(6-क) अनुज्ञिक्तिधारी होटल के कमरों में रखे जाने वाले फ्रिज में 60 मिलीलीटर क्षमता वाली (स्पिरिट) की बोतलें तथा 180 मिलीलीटर क्षमता वाली (वाइन) की बोतलें जो कि आयातित तथा भारत निर्मित बोतल बंद विदेशी मदिरा हो स्टाक में रखेगा.”.

2. प्ररूप एफ.एल.-3-क में शर्त क्रमांक (6) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(6-क) अनुज्ञिक्तिधारी होटल/रिसोर्ट के कमरों में रखे जाने वाले फ्रिज में 60 मिलीलीटर क्षमता वाली (स्पिरिट्स) की बोतलें तथा 180 मिलीलीटर क्षमता वाली (वाइन) की बोतलें जो कि आयातित तथा भारत निर्मित बोतल बंद विदेशी मदिरा हो स्टाक में रखेगा.

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त की गई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच, (05).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच, (05), दिनांक 4 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th March 2013

No. B-1-36-2012-2-V (05).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

In the said rules,—

1. In rule 8, in form F.L.-3, after Condition No. (6), the following condition shall be inserted namely:—  
(6-a) Licensee shall stock the bottles of 60 milliliter capacity of (spirit) and bottles of 180 milliliter capacity of (Wine), which are Imported and Bottled In Origin as well Indian Made Foreign Liquor, In the fridge which are kept in the hotel rooms.
  2. In form F.L.-3-A, after Condition No. (6), the following condition shall be inserted namely :—  
(6-a) Licensee shall stock the bottles of 60 milliliter capacity of (spirit) and bottles of 180 milliliter capacity of (Wine), which are Imported and Bottled In Origin as well Indian Made Foreign Liquor, In the fridge which are kept in the hotel's/resort's rooms.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl.Secy.